भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3078

उत्तर देने की तारीख-20/08/2025

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

3078 **श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य एनएफटीडब्ल्यू (राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान) के सदस्य हैं;
(ख) क्या एनएफटीडब्ल्यू को सिक्किम सरकार के शिक्षा विभाग से सिक्किम के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान में पंजीकरण हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;
(ग) यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(घ) इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत राज्य कौन-कौन से विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): एनएफटीडब्ल्यू के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य कार्य समिति का गठन और कोष में वार्षिक अंशदान का भुगतान फाउंडेशन का सदस्य बनने के लिए मानदंड है। आज की स्थिति के अनुसार, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएफटीडब्ल्यू के सदस्य नहीं हैं।

सिक्किम राज्य वर्ष 2004 से एनएफटीडब्ल्यू का सदस्य है, किन्तु इसने वर्ष 2012-13 से अपना वार्षिक अंशदान नहीं दिया है।

(घ): एनएफटीडब्ल्यू के सदस्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थाएँ निम्नलिखित लाभ उठाने के लिए अपने शिक्षकों के आवेदन की अनुशंसा कर सकते हैं:-

- स्कूल शिक्षकों के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता;
- गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति;
- उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित शिक्षकों को सवेतन अवकाश;
- शिक्षक सदन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता; और
- शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शिक्षकों को सब्सिडी।

*****